सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 143 / 2017 अपील (RCMS/2017/00075)
पंजीयन दिनांक – 20.11.2017
निर्णय दिनांक – 30.07.2018

1. श्री भेरा पिता श्री पेमा डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्री नौजा पिता श्री पेमा डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री नाथु पिता श्री दल्ला डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
2. श्री वगता पिता श्री दल्ला डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
3. श्री डुंगा पिता श्री लिम्बा डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
4. श्री वेला पिता श्री लिम्बा डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
5. श्री मेघा पिता श्री लखमा डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
6. श्री उदा पिता श्री लखमा डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
7. श्री पदा पिता श्री लखमा डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
8. श्री देवा पिता श्री मावाजी डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
9. श्री खिमा पिता श्री मावाजी डांगी, निवासी गुडली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

– रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः–
1. श्री भूरालाल डांगी – वकील अपीलान्ट
2. श्री भीमराज पटेल – वकील रेस्पोडेंट–1 व 2

अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा प्रकरण संख्या 12 / 2017 दिनांक 22.05.2017

निर्णय

दिनांक 30.07.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा प्रकरण संख्या 12/2017 दिनांक 22.05.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या–1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि उसकी खातेदारी स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम गुडली, पटवार हल्का गुडली में कृषि भूमि आराजी संख्या 5060, 5061, 5075 से 5077 किता 6 रकबा 0.5300 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि से लगी हुई पड़ौस मे विपक्षी संख्या 1 से 10 की जमाबन्दी 2070 से 73 आराजी संख्या 5068, 5078 से 5087 किता–11 रकबा 0.7100 हैक्टेयर है। रेस्पोडेंट संख्या 1 श्री नाथु की उक्त वर्णित आराजी संख्या 5060, 5061, 5075 से 5077 किता 6 रकबा 0.5300 पर मेडबन्दी सीमाबन्दी को लेकर विपक्षीगण से विवाद होते रहते है। अपीलान्टगण अपने प्रभाव से मौके पर स्थित पाली–डोली को क्षतिग्रस्त कर देते है, सीमाकंन के निशानों का हटाकर रेस्पोडेंट–1 की खातेदारी व आधिपत्य की उक्त आराजीयात पर अवैध रूप से ट्रेसपास करते है, जिससे हर वर्ष खेतबाडी को लेकर पत्थरगढ़ी के अभाव में आपस में विवाद रहता है जबकि मौके पर रेस्पोडेंट की भूमि के बाड़ लगी हुई है। अतः रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा कृषि भूमि आराजी संख्या 5060, 5061, 5075 से 5077 किता 6 रकबा 0.5300 हैक्टेयर का सीमांकन करवा मौके पर पत्थरगढ़ी कराये जाने के आदेश हेतु अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा कैम्प कोर्ट गुडली में सुनवाई कर स्वीकार किया और निर्णय दिनांक 22.05.2017 से उक्त भूमि के सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी की कार्यवाही के निर्देश दिये। उक्त निर्णय से व्यथीत होकर अपीलान्टगण द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 उपस्थित, जिनकी बहस सूनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रकरण को बिना अपीलान्टगण को सूचना दिये राजस्व लोक अदालत अभियान–2017 केम्प गुडली में दिनांक 22.05.2017 को रखा तथा मात्र प्रार्थी को सुनकर उक्त निर्णय पारित किया गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होकर काबिल अपास्त के है। अधीनस्थ

न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में पक्षकारों के पारस्परिक समझौते हेतु वार्ता करा पक्षकारों की सहमति के आधार पर पक्षकारों के हित निर्धारित करने चाहिये थे जो मात्र प्रत्यर्थी के आवेदन पर बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये उक्त निर्णय पारित किया है, जो विधि के विपरित है व काबिल अपास्त के है। दिनांक 16.11.2017 को मौके पर पटवारी व इन्सपेंटर आये तथा जिन्होनें बताया कि तुम्हारे जमीन की पत्थरगढ़ी करनी है तो हमने कहा कि अभी जमीन की बुवाई कर रखी है तथा हमारे तो इसका दावा न्यायालय में चल रहा है जिससे उन्होनें कहा कि निर्णय हो चुका है जिस पर अपीलार्थीण ने बाद में न्यायालय से जानकारी लेने पर निर्णय दिनांक 22.05. 2017 का पता चला और बाद नकल प्राप्ति विचाराधीन अपील प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट द्वारा धारा–5 अन्तर्गत मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में बताया कि उसकी खातेदारी स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम गुडली, पटवार हल्का गुडली में कृषि भूमि आराजी संख्या 5060, 5061, 5075 से 5077 किता 6 रकबा 0.5300 हैक्टेयर भूमि स्थिति है। उक्त कृषि भूमि से लगी हुई पड़ौस मे विपक्षी संख्या 1 से 10 की जमाबन्दी 2070 से 73 आराजी संख्या 5068, 5078 से 5087 किता–11 रकबा 0.7100 हैक्टेयर है। रेस्पोडेंट संख्या 1 श्री नाथु की उक्त वर्णित आराजी संख्या 5060, 5061, 5075 से 5077 किता 6 रकबा 0.5300 पर मेडबन्दी सीमाबन्दी को लेकर विपक्षीगण से विवाद होते रहते है। अपीलान्टगण अपने प्रभाव से मौके पर स्थित पाली–डोली को क्षतिग्रस्त कर देते है, सीमाकंन के निशानों का हटाकर रेस्पोडेंट–1 की खातेदारी व आधिपत्य की उक्त आराजीयात पर अवैध रूप से ट्रेसपास करते है, जिससे हर वर्ष खेतबाडी को लेकर पत्थरगढ़ी के अभाव में आपस में विवाद रहता है जबकि मौके पर रेस्पोडेंट की भूमि के बाड़ लगी हुई है। अतः रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा कृषि भूमि आराजी संख्या 5060, 5061, 5075 से 5077 किता 6 रकबा 0.5300 हैक्टेयर का सीमांकन करवा मौके पर पत्थरगढ़ी कराये जाने के आदेश हेतु अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन बाद स्वीकार कर सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी का आदेश दिया जो पूर्णतया विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाने का अनुरोध किया है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया है कि उक्त प्रकरण को बिना अपीलान्टगण को सूचना दिये राजस्व

लोक अदालत अभियान–2017 केम्प गुडली में दिनांक 22.05.2017 को रखा तथा मात्र प्रार्थी को सुनकर उक्त निर्णय पारित किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेंट–1 व 2 ने तर्क दिया कि उक्त कृषि मेडबन्दी सीमाबन्दी को लेकर विपक्षीगण से विवाद होते रहते है। अपीलान्टगण अपने प्रभाव से मौके पर स्थित पाली–डोली को क्षतिग्रस्त कर देते है, सीमाकंन के निशानों का हटाकर रेस्पोडेंट–1 की खातेदारी व आधिपत्य की उक्त आराजीयात पर अवैध रूप से ट्रेसपास करते है, जिससे हर वर्ष खेतीबाडी को लेकर पत्थरगढ़ी के अभाव में आपस में विवाद रहता है जबकि मौके पर रेस्पोडेंट की भूमि के बाड़ लगी हुई है। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी का निर्णय दिनांक 22.05.2017 को पारित किया। चुंकि उक्त कृषि भुमि के सम्बन्ध में विवाद की स्थिति बन रही है, इसलिए उक्त उक्त भुमि पर सीमाकंन एवं पत्थरगढ़ी का कार्यवाही सम्बन्धित तहसीलदार एवं उप–तहसीलदार की उपस्थिति में किया जाना उचित समझते है एवं तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.05.2018 में आंशिक संशोधन किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित तहसीलदार अथवा उप तहसीलदार एवं सभी पक्षकारों की उपस्थिति में ग्राम गुड़ली में स्थित आराजी नम्बर 5060, 5061, 5075 से 5077 किता 6 रकबा 0.5300 हैक्टेयर भुमि के सीमाकंन एवं पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करावें।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर